फर्द अहकाम

गंगु बनाम गोंदू

नाम न्यायालय

केस संख्या 27/2017

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	8/2/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण आदेश अमल कराने के कारण नहीं लिखाया गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 14/2/24 को पेश होवे सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर जयपुर
	14/2/24	पत्रावली पेश हुई। वादी का वाद मुताबिक कब्जेजात रिपोर्ट अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है विरुद्ध निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नं० से कम हो बाद तामील दाखिल दफ्तर हो सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.20 14:56:08 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय** जयपुर व इजलास **श्यामा राठौड़, आर.ए.एस**

वाद संख्या : 27/2017

1. गंगू पुत्र घासी जाति यादव निवासी ग्राम सुन्दरपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. गोदू उर्फ गोदाराम पुत्र सेडूराम जाति यादव निवासी ग्राम सुन्दरपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक, आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत तकासमा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पे होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है । वाके ग्राम सुन्दरपुरा, पटवार हल्का बीलपुर, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मानपुरा माचेडी, तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित खाता सं0 नया 41 पुराना 33 के खसरा नम्बर 17 रकबा 0.3739 हैक्टेयर का तकासमा तहसीलदार आमेर जिला जयपुर से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट के मुताबिक वादी का वाद निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

वर्तमान जमाबन्दी प्रविष्ठि

क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	गंगू पुत्र घासी हि. 3539/3739 जाति अहीर सा.देह खातेदार राहिन राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मानपुरा माचेडी	17	0.3739	चाही 2	9.53
2	गोदाराम पुत्र सेडूराम हि. 200/3739 जाति अहीर सा. सुन्दरपुरा खातेदार				

कुरेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्ठि

क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	गंगू पुत्र घासी जाति अहीर सा.देह खातेदार राहिन राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मानपुरा माचेडी	17	0.3539	चाही 2	9.02
		किता 1	0.3539		
2	गोदाराम पुत्र सेडूराम हि. जाति अहीर सा. सुन्दरपुरा खातेदार	17/2	0.02	चाही 2	0.51
		किता 1	0.02		

उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.02.2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
ओहदा ....मुख्यालय-जयपुर........

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.20 14:56:08 IST
Reason: SelfAttested

मुदई	रुपये	पैसे	मुद्दालेह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प [illegible]		
स्टाम्प वकालत नामा			[illegible]		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय,जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्यामा राठौड़, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 27/2017
निर्णय दिनांक : 14.02.2024

1. गंगू पुत्र घासी जाति यादव निवासी ग्राम सुन्दरपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. गोदू उर्फ गोदाराम पुत्र सेडूराम जाति यादव निवासी ग्राम सुन्दरपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक, आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत तकासमा, हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत
धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सुन्दरपुरा, पटवार हल्का बीलपुर, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मानपुरा माचेडी, तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित खाता सं0 नया 41 पुराना 33 के खसरा नम्बर 17 रकबा 0.3739 हैक्टेयर में वादी का हिस्सा 3539/3739 निहीत है, तथा प्रतिवादी सं 1 का 200/3739 हिस्सा निहित हैं। वादी व प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड में सह–हिस्सेदार सह–खातेदार दर्ज है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2071–2074 में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त खातेदारी में दर्ज है और राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काबिज काश्त निरन्तर चलें आ रहें हैं और अपने–अपने हिस्से अनुसार राजस्व लगान अदा करतें आ रहें हैं। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य विधिक विभाजन नहीं हुआ हैं इसलिये उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही हैं जो कि विवादित भूमि है। अब चूँकि वाद अधीन भूमि के बजारू दर में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी है इसलिये प्रतिवादीगण की नियत में खोट आ गई है और वे विवादित भूमि का बिना विधिक विभाजन करवाये बिना ही संयुक्त खातेदारी की विवादित भूमि के विशेष भू–भाग पर कब्जा करने विशेष भू–भाग को विक्रय–हस्तान्तरण इत्यादि करने की अनुचित व विधि विरूद्ध मंशा रखने लग गये। दिनॉक 30–05–2017 को प्रतिवादी ने वादी को विभाजन करवाने से कतई मना कर दिया, और यह धमकी दी कि उक्त भूमि को हम ऐसे किसी दीगर व्यक्ति को बेचान कर देगें, जो तुम्हारे हिस्से की भूमि के विशेष भू–भाग पर बाहुबल के आधार पर कब्जा कर तुम्हें बेदखल कर देगें, इत्यादि एलानियां धमकी दी, जो निरन्तर जारी हैं। प्रतिवादीगण ने वादी के खिलाफ साजिश एंव साज–बाज कर रखी है और विवादित भूमि का कब्जे काश्त के मध्य नजर बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन के नियमों के अनुसार विधिक विभाजन करवाये बिना ही विवादित भूमि के विशेष भू–भाग पर बाहुबल के आधार पर कब्जा करने, भूमि का कृषि से अकृषि में उपयोग–उपभोग करने पर आमादा हैं और येनकेन प्रकारेण वादी को उनके खातेदारी अधिकारों व विधिक अधिकारों से वंचित करने पर तुले हुए है ऐसी स्थिति में वादी को बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 विभाजन की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 इस आशय की प्राप्त करने का विधिक अधिकार हासिल है कि राजस्व ग्राम सुन्दपुरा पटवार क्षेत्र बीलपुर, भू–अभिलेख निरीक्षक [illegible] मानपुरा माचेडी, तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 41 पुराना 33 के [illegible] नम्बर 17 रकबा 0.3739 हैक्टेयर का कब्जे काश्त के मध्यनजर बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विधिक विभाजन किया जाकर वादी के हिस्से 3539/3739 का पर्चा लगान एंव [illegible] पृथक कायम किया जावें। प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करें [illegible] बिना विधिक विभाजन करवाये किसी भी विशेष भू–भाग पर बाहुबल के आधार पर नाजायज कब्जा [illegible] तथा कृषि से अकृषि में उपयोग–उपभोग करने, विशेष भू–भाग को विक्रय–हस्तान्तरण करने से निषेद्ध रहें तथा प्रतिवादीगण वादी के शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग, कब्जा–काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी, हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट, मदाखलत,

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.20 14:56:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

मजाहमत इत्यादि करने से निषेद्ध रहें तथा अपने-अपने परिवारजनों, एजेण्ट, प्रतिनिधि, सर्वेण्ट इत्यादि को भी निषेद्ध रखें, और राजस्व रिकार्ड एंव मौका की यथास्थिति बनायीं रखें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 28.12.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 15.01.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सांवरमल चौधरी ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 16.03.2018 को प्रतिवादी सं 1 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रतिवादी सं 2 व 3 द्वारा कृषि कार्य कभी भी उक्त भूमि पर नहीं किया गया एवं वादी व प्रतिवादी सं 1 मनबंट अनुसार अलगर अलग हिस्से पर कृषि कार्य कर रहे है। प्रतिवादी सं 1 के नाम से उक्त खसरा नंबर की कृषि भूमि में कृषि का विधुत कनेक्शन करीबन 30-32 वर्षो से स्थापित है एवं प्रतिवादी संख्या 1 विगत 30-32 वर्षो से अपने स्वयं के खर्चे से निर्मित विद्युत कनेक्शनशुदा बोरिंग से अपने हिस्से की उक्त खसरा नंबर 17 की कृषि भूमि एवं पास में ही स्थित प्रतिवादी संख्या 1 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा नंबर 12, 13 20 में सिंचाई के कार्य में शान्तिपूर्ण तरीके से उपभोग-उपयोग करते आ रहे है। खसरा नंबर 13 में पानी का बड़ा टैंक है, जिसमें उक्त बोरिंग से पाईप लाईन के जरिये पानी भरकर पानी को सिंचाई के काम में लिया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 का मकान खसरा नंबर 20 में है एवं उक्त खसरा में पानी की टंकी भी स्थित है, जिसमें उक्त बोरिंग से पाईपलाईन के जरिये पानी पहुंचाया जाता है, जो पानी प्रतिवादी संख्या 1 के परिजनो व पशुओं के काम में लिया जाता है। खसरा नंबर 17 में रोड से व बोरिंग के आगे तक रास्ता जाता है, जिसका उपयोग-उपभोग काफी वर्षो से शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है तथा समय-समय पर उक्त जमीन में सुधार के लिए काफी रूपये खर्च किये हैं। राजस्व लगान अदा करने के सन्दर्भ में किस-किस खातेदार द्वारा कितना लगान दिया गया है, यह सिर्फ लगान की रसीदो एवं दस्तावेजो से ही सिद्ध हो सकता है। वादी स्वयं उक्त भूमि के रोड पर फन्ट आ जाने की वजह से येन-केन प्रकारण रोड की तरफ की समस्त भूमि हडपना चाहता है, जबकि वादी का उस पर अपने हिस्से अनुसार ही अधिकार है एवं जब वादी व प्रतिवादी अपने मनबंट हिस्से के अनुसार शान्तिपूर्ण तरीके से पिछले काफी वर्षो से मनबंट हिस्सानुसार अपने-अपने हिस्से पर कृषि कार्य कर रहे है, तो किसी विशेष भू-भाग पर कब्जा करना व विक्रय हस्ताण्तरण का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता। प्रतिवादी ने कभी भी वादी को इस तरह की धमकियां नही दी बल्कि वादी, प्रतिवादी के विरूद्ध गलत तथ्यो पर वाद प्रस्तुत कर रोड की जमीन को अकेला ही हडप करना चाहता है तथा वादी की नियत प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा लम्बे समय शान्तिपूर्वक तरीके से भूमि के अन्दर डाली हुई पाईपलाईन से सिंचाई करता आ रहा है, उसमे बाधा पैदा करना है बोरिंग पर पहुंचने के लिए उक्त खसरा नंबर 17 में रोड से जिस रास्ते का लम्बे समय से शान्तिपूर्ण सुखाधिकार का प्रयोग करता आ रहा है, उसमे व्यवधान पैदा करना है ताकि वादी अनुचित दबाव बनाकर उक्त खसरा की रोड से लगती भूमि को अकेला ही हडप कर सके। दिनांक 06.04.2018 को प्रकरण में तनकी कायम की गई। दिनांक 28.06.2018 को प्रकरण में बहस प्राथमिक डिक्री सुनी गई। वाद में प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया गया कि उभयपक्षकारान की उपस्थिति में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन-तीन प्रतियों में इस न्यायालय को आगामी तारीख पेशी 20.07.2018 से पूर्व भिजवाई जावे। दिनांक 28.02.2020 को तहसीलदार आमेर ने अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2020/732 दिनांक 05.02.2020 को कुरेजात रिपोर्ट 3 प्रतियों में मय नक्शे भिजवायी गयी जो पत्रावली में शामिल मिसल की गयी एवं पत्रावली वास्ते बहस कुर्रेजात हेतु नियत की गई। दिनांक 11.02.2021 को अधिवक्ता प्राथी प्रतिवादी 1 ने आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। दिनांक 20.07.2023 को प्रकरण में बहस प्रा. पत्र आपत्ति कुर्रेजात सुनी गई। दिनांक 01.02.2024 को प्रकरण में पुनः बहस प्रा. पत्र आपत्ति कुर्रेजात सुनी गई। प्रा.पत्र सारहीन होने से खारिज किए जाने पर वादी का वाद मुताबिक कु[illegible]डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वा[illegible] जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम सुन्दरपुरा, पटवार हल्का बीलपुर, भू-अभिलेख निरीक्ष[illegible] मानपुरा माचेडी, तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित खाता सं0 नया 41 पुराना 33 के खसरा नंबर 17 रकबा 0.3739 हैक्टेयर का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार [illegible] प्रकार किया जाता है:-

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.20 14:56:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

वर्तमान जमाबन्दी प्रविष्ठि

क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	गंगू पुत्र घासी हि. 3539/3739 जाति अहीर सा.देह खातेदार राहिन राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मानपुरा माचेडी	17	0.3739	चाही 2	9.53
2	गोदाराम पुत्र सेडूराम हि. 200/3739 जाति अहीर सा. सुन्दरपुरा खातेदार				

कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्ठि

क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	गंगू पुत्र घासी जाति अहीर सा.देह खातेदार राहिन राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मानपुरा माचेडी	17	0.3539	चाही 2	9.02
		किता 1	0.3539		
2	गोदाराम पुत्र सेडूराम हि. जाति अहीर सा. सुन्दरपुरा खातेदार	17/2	0.02	चाही 2	0.51
		किता 1	0.02		

उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। तहसीलदार आमेर को प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शो की एक प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवायी जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्यामा राठौड़)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर,
मुख्यालय, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.20 14:56:08 IST
Reason: SelfAttested